निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–04/17
दायरा दिनांक :–03.01.17
निर्णय दिनांक :– 13.12.22

उनवान

1. गोटूलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां
2. बलवंत पुत्र श्री मदलनलाल जाति मीणा निवासी बपावर खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा
3. छीतरलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति मीणा निवासी बपावर खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0 –प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 13.12.22

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री ओ0 पी0 मेहता एड0– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बरोदा (नया) पटवार क्षेत्र तुलसां तहसील बारां की आराजी खाता सं0 1 की खसरा नं0 620 रकबा 4.68 हे0 गैर मुमकिन आबादी स्थित है। जिसे आगे वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। आराजी खसरा नं0 620 के सेटलमेन्ट सम्मत 2038–57 के पूर्व साबिक खसरा नं0 359, 387 मिन, 286 मिन, 361 मिन, 360 से संयुक्त रूप से रकबा 4.68 हे0 वर्तमान खसरा नं0 620 का कायम किया गया है। खसरा नं0 359 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा सम्मत 2028–31 में खातेदार के रू‌प में देवा वल्द नाथू 1/2 शोराम, भैरू, मोती, हीरालाल पुत्रगण बलदेव 1/2 हिस्सा के रूप में खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें से देवाजी की मृत्यु होने से उनके कोई वारिस नहीं होने से उनका हिस्सा संयुक्त रूप से सभी के रहा जिसमें भैरूलाल जी का भी देहान्त हो गया उसके दो पुत्र मोतीलाल पुत्र गोटूलाल है इसी प्रकार हीरालाल जी का स्वर्गवास हो गया है। उसका पुत्र छीतरलाल मौजूद है। मोतीलाल का

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

भी देहान्त हो गया है। उसके पुत्र मदनलाल का भी देहान्त हो गया है। मदनलाल का पुत्र बलवंत है शोराम पूर्व में ही अपने परिवार में हरदेव के यहां गोद चला गया था इसके कारण उसका इस आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा, इस प्रकार संपूर्ण आराजी के एक मात्र खातेदार एवं स्वामी वादीगण ही है। इनके अलावा अन्य कोई वैधानिक वारिस व कायम मुकामान नहीं है। किन्तु सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से खसरा नं0 359 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा को नया खसरा नं0 620 कायम करते वक्त ओर खसरा नं0 360, 361 मिन, 286 मिन, 387 मिन के साथ संयुक्त रूप से कायम करते हुये रकबा 4.68 हे0 दर्ज कर दिया गया जबकि खसरा नं0 359 का पृथक से खसरा नं0 कायम कर वादीगण के पूर्वजों के नाम अंकित किया जाना चाहिए था इस प्रकार सेटलमेन्ट को रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी गलत रूप से खातेदारी परिवर्तित कर गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज किया गया है। जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित है। इसलिए वादीगण अपने खसरा नं0 359 रकबा 20 बीघा 6 बीस्वा की दुरूस्ती कराते हुए खसरा नं0 620 में से रकबा 3.09 हे0 पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करा पा सकने के अधिकारी एवं नालिशी है। विकल्प के रूप में अगर उक्त आराजी को आबादी में दर्ज रखा जाता है। तो बाजार दर से मुआवजा राशि प्रतिवादी राजस्थान सरकार से वादीगण को दिलाया जाना न्यायोचित है। वादीगण एवं उनके पूर्वजों द्वारा बार बार राजस्व कर्मचारियों व जिला कलेक्टर महोदय बारां तहसीलदार बारां से बार बार अपने खाते की दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया गया किन्तु उनके द्वारा टालमटूल की जाती रही, अंतिम रूप से दिनांक 8–11–2016 को राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी के रूप में तहसीलदार बारां से निवेदन करने पर उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दिये जाने पर तथा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी के रूप में जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिये जाने पर दिनांक 09–12–2016 को अंतिम रूप से वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार की ओर से जवाब पेश नहीं होने के कारण पेरोकार सरकार का जवाब बन्द किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2062–65 खाता सं0 1, नकल खतोनी बन्दोबस्त भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2038–57 ग्राम बोरदा, नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2058–61 खाता सं0 1, नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2050–53, नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2014–17 खाता सं0 67, नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2018–21 खाता 62, नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2046–49, नकल खतौनी बन्दोबस्त भू–प्रबन्ध विभाजन सम्वत् 2038–57 खाता सं0 293, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038–57 पेश की गई। साक्ष्य वादी में pw1 गोटूलाल, pw2 बलवन्त, pw3 छीतरलाल के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

वाके ग्राम बोरदा तहसील बारां में स्थित है। विवादित आराजी खसरा नं0 620 के सेटलमेन्ट से पूर्व साबिक खसरा नं0 359, 387 मिन0, 286 मिन0, 361 मिन0, 360 का कुल रकबा 4.68 हे0 है। खसरा नं0 359 रकबा 20.06 बीघा सम्वत् 2028–31 में खातेदार देवा पुत्र नाथू हिस्सा 1/2, शोराम, भैरू, मोती, हीरालाल पुत्र बलदेव हिस्सा 1/2 के खातेदारी में दर्ज थी। देवा की मृत्यु हो गई। उसका कोई वारिस नहीं है। भैरूलाल, हीरालाल, मोतीलाल इनकी मृत्यु हो चुकी है इनके वारिसान वादीगण है शोराम पूर्व में ही हरदेव के गोद चला गया था। सेटलमेन्ट के दौरान खसरा नं0 359 रकबा 20.06 बीघा का नया खसरा नं0 620 कायम किया गया और खसरा नं0 360, 361 मिन0, 286 मिन0, 387 मिन0, संयुक्त रूप से कायम करते हुए रकबा 4.68 हे0दर्ज कर दिया गया जबकि खसरा नं0 359 का अलग से खसरा नं0 कायम कर वादी के पूर्वजों के नाम अंकित किया जाना चाहिए था। सेटलमेन्ट के वक्त गलत दर्ज करते हुए गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर दिया। जो विधि के विपरित है। वादी अपने खसरा नं0 359 रकबा 20.06 बीघा की दुरूस्ती कराते हुए खसरा नं0 620 में से रकबा 3.09 हे0 पर अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2062–65 के अनुसार गैर मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2058–61 में भी गैर मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम बोरदा सम्वत् 2050–53 में निवास या वास तथा गैर मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2014–17 में उप कृषक भैरूलाल, मोतीलाल, हीरालाल दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2018–21 में देवा पुत्र नाथु हिस्सा 1/2, शोराम, भैरूलाल, मोतीलाल, हीरालाल पुत्र बलदेव हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2046–49 में निवास या वास गैर मु0 आबादी दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2038–57 में सिवायचक एवं गैर मु0 आबादी दर्ज होना पाया जाता है।, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बोरदा सम्वत् 2038–57 में खसरा नं0 359, 357, 286, 361 एवं 360 का हाल खसरा नं0 620 रकबा 4.68 हे0 दर्ज है परन्तु खसरा नं0 359, 357, 286, 361 का कितना कितना रकबा था अंकित नहीं है वादी द्वारा सम्वत् 2018–21 की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें वादी के पूर्वजों का नाम अंकित है परन्तु वादी द्वारा 2022 से आगे की जमाबन्दी पेश नहीं की गई है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान में भूमि किसके खातेदारी में दर्ज है वादी द्वारा अपने वाद पत्र में गैर मु0 आबादी दर्ज होना बताया है जमाबन्दी जमाबन्दी प्रर्दश 3 में खसरा नं0 49, 50, 51, 620 गैर मु0 आबादी में दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी में आबादी बसी हुई है वादी द्वारा विवादित आराजी से सम्बधित कब्जे काश्त एवं उक्त आराजी पर किसी प्रकार की आबादी बसी हुई नहीं होना साबित करने में विफल रहे है गैर मु0 आबादी की भूमि को वादी के खातेदारी में दर्ज नहीं किया जा सकता है वादी द्वारा सेटलमेन्ट की गलती को दुरूस्त कराने का दावा इतने वर्ष वाद प्रस्तुत करने का क्या कारण रहा यह साबित नहीं किया वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

(3) उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है तदनुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 4/2017	अन्तर्गत 88,89,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 13·12·22
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री ओमप्रकाश मेहता		अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री

वाद शीर्षक

उनवान

1. गोटूलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां
2. बलवंत पुत्र श्री मदनलाल जाति मीणा निवासी बपावर खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा
3. छीतरलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति मीणा निवासी बपावर खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0 –प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 13.12.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्डअधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां
बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Scanned with CamScanner